संख्या-117/21-उर्दू-1-2020(213/2019)

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊःदिनांक 10 सितम्बर ,2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु फखरूद्दीन अली अहमद मेमो०समिति की योजनाओं के संचालनार्थ द्वितीय किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय,फखरूद्दीन अली अहमद मेमो०समिति को उनकी योजनाओं एवं क्रियाकलापों के संचालनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में द्वितीय किस्त के रूप में रु०16.25 लाख (रूपये सोलह लाख पच्चीस हज़ार मात्र)की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा और इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मदों / कार्यक्रमों पर व्यय न किया जाय तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित नहीं की जायेगी बल्कि आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक कोषागार से आहरित की जाय और नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिये गये है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सॅख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च,2020 तथा शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई,2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त स्थायी मितव्यतता सम्बन्धी आदेशों तथा बजट मैनुअल का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रश्नगत स्वीकृति संस्था सचिव द्वारा प्रथम किस्त की बजट व्यय संबंधी उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सम्बन्ध में कोई भ्रामक सूचना पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रु० 16.25 लाख (रूपये सोलह लाख पच्चीस हज़ार मात्र)चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय- व्ययक अनुदान संख्या -039 के लेखा शीर्षक-2022-सामान्य शिक्षा -05-भाषा विकास -102-आधुनिक भारतीय भाषाओँ तथा साहित्य का संवर्धन -07-स्व० फखरूद्दीन अली अहमद मेमो०समिति को अनुदान-20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनु०-7 के अशासकीय संख्या-ई -7-896 /(दस)/2020 दिनांक 10 सितम्बर,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जरी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-117/21-उर्दू-1-2020(213/2019)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वित्तीय ,उ०प्र० प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वित्तीय,उ०प्र० प्रयागराज।

3- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ०प्र०इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र०उर्दू अकादमी के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथासमय भेजने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट ,लखनऊ।

5- आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ०प्र० हिन्दी संस्थान,लखनऊ।

7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/भाषा उर्दू अनु०- 4

आज्ञा से,

(हरी बख्श सिंह)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in